केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/143 दिनांक: 30.05.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00134
CICOM/R/2018/00430

अपीलकर्ता : **श्री राम प्रवेश राय,**
पुत्र – श्री बृज मोहन राय,
ग्राम – देदौर, पो0 – बख्तियारपुर,
जिला – पटना, बिहार – 803212.

निर्णय की तारीख : 30.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	244/24.05.2018 (132777/23.05.2018)

1. अपीलकर्ता ने आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 20.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि **अपीलकर्ता के दिनांक 20.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00430 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।** साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि एक जन सूचना अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केवल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण या किसी को सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश देना (जैसा कि अपीलकर्ता ने अपने अपने आर.टी.आई. आवेदन में उल्लेख किया है) जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 42 एफ 860155 आपको वापस किया जाता है ।

संलग्नक - दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 42 एफ 860155.

90

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
31 MAY 2018
D. No..........
Initials..........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

31/05/18